

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— कृष्ण गोपाल जोजन

प्रकरण सं० 55/2019

दायर दिनांक: 25/04/2019

उनवान

1. ऋषिकान्त आयु 27 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम स्वरूप जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. त्रिलोक देवी आयु 61 वर्ष पत्नी पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज०।

वादीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री रामशंकर जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज०।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज०।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53, आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

आदेश

दिनांक : 19/08/2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53, आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वाके ग्राम एवं माल बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं० 99 की ख०नं० 46 रकबा 0.04 है० ख०नं० 47 की 0.19 है० ख०नं० 48 की 0.04 है० ख०नं० 49 की 0.06 है० ख०नं० 50 की 0.20 है० ख०नं० 101/495 की 0.08 है० ख०नं० 121 की 0.16 है०, ख०नं० 180 की 1.97 है०, ख०नं० 467/492 की 0.71 है०, ख०नं० 467/498 की 0.01 है०, ख०नं० 564/182 की 0.14 है०, ख०नं० 565/181 की 0.09 है० कुल कित्ता 12 की 3.69 है० आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज चली आ रही है। जो प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत से प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है जो प्रतिवादी क्रम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। जिस पर वादी क्रम 1 प्रतिवादी क्रम 1 का पुत्र होने से उसका जन्म से एवं वादनी क्रम 2 प्रतिवादी क्रम 1 की पत्नी होने से शादी के समय से उसका उपरोक्त आराजी में वैधानिक तौर पर अधिकार प्राप्त चला आ रहा है। वादी क्रम 1 वाद पत्र की मद नं० 1 में वर्णित आराजी में से 6 बीघा भूमि एवं वादिया क्रम 2 वाद पत्र

की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे 10 बीघा भूमि खाता विभाजन करवाकर अपने नाम खाता दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ग्राम बेडक्या की खाता संख्या 99 की कित्ता 12 रकबा 3.69 है0 में आपसी सहमति से वादी क्रम 1 को 6 बीघा एवं वादी क्रम 2 को 10 बीघा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, शेष भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में रहेगी। तहसीलदार अटरू से उक्तानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव चाहा गया तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/749 दिनांक 01.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे उभयपक्षकान सहमत है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का आपसी सहमति से विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी क्रम 1 ऋषिकान्त आयु 27 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम स्वरूप जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा
बेडक्या	99	46	0.04
		47	0.19
		48	0.04
		49	0.06
		50	0.20
		101/495	0.08
		121	0.16
		180	0.19 दक्षिण
		कित्ता 8	0.96

2. वादी क्रम 2 त्रिलोक देवी आयु 61 वर्ष पत्नी पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा
बेडक्या	99	180	1.60
		कित्ता 1	1.60

3. प्रतिवादी पुरुषोत्तम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री रामशंकर जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा
बेडक्या	99	180	0.18 मध्य दक्षिण
		457 / 492	0.71
		467 / 498	0.01
		564 / 182	0.14
		565 / 181	0.09
		<hr/>	
		किता 5	1.13

तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्ददाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री कृष्ण गोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 55/2019

उनवान

1. ऋषिकान्त आयु 27 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम स्वरूप जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. त्रिलोक देवी आयु 61 वर्ष पत्नी पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।

वादीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री रामशंकर जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, साहब तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 53, आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनईX..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :-

वादीगण:- विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

प्रतिवादी:- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा।

मिनजानित मुदई रूबरूX.....मिनजाबिन मुदालयह हुकम

दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम बेडक्या की खाता संख्या 99 की किता 12 रकबा 3.69 है0 में आपसी सहमति से वादी क्रम 1 को 6 बीघा एवं वादी क्रम 2 को 10 बीघा भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है, शेष भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते में रहेगी। तहसीलदार अटरू से उक्तानुसार पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव चाहा गया तहसीलदार अटरू द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2019/749 दिनांक 01.08.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया जिससे उभयपक्षकान सहमत है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विवादित आराजी का आपसी सहमति से विभाजन निम्न प्रकार किया जाता है:-

1. वादी क्रम 1 ऋषिकान्त आयु 27 वर्ष पुत्र पुरुषोत्तम स्वरूप जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं0	खसरा नं0	रकबा
बेडक्या	99	46	0.04
		47	0.19
		48	0.04
		49	0.06
		50	0.20
		101/495	0.08
		121	0.16

180	0.19 दक्षिण
किता 8	0.96

2. वादी कम 2 त्रिलोक देवी आयु 61 वर्ष पत्नी पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा
बेडक्या	99	180	1.60
		किता 1	1.60

3. प्रतिवादी पुरुषोत्तम आयु 62 वर्ष पुत्र श्री रामशंकर जाति गालव ब्राह्मण निवासी बेडक्या के हिस्से में निम्न आराजीयात रहेगी।

नाम ग्राम	खाता सं०	खसरा नं०	रकबा
बेडक्या	99	180	0.18 मध्य दक्षिण
		457 / 492	0.71
		467 / 498	0.01
		564 / 182	0.14
		565 / 181	0.09
		किता 5	1.13

तहसीलदार अटरू राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद करें।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

निजX..... मुबालिकX..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारहX.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकX..... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 19.08.2019 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत०
महन्ताना वकील	मुत०	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज०)

